न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
496/2018	प्रा0पत्र 144 CPC	24.12.2018	23.01.2019

भंवरलाल गुर्जर पुत्र स्व. मोहनलाल जाति गुर्जर निवासी वार्ड नं. 40 प्रतिभा नगर, चूरू
—प्रार्थीगण—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय, चूरू

—अप्रार्थी—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी.

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी प्रार्थी
2. पैरोकार राज उपस्थित।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि इस न्यायालय के द्वारा दावा संख्या 74/2012 सरकार बनाम बल्लूखां वगैरह अन्तर्गत धारा 177 काश्तकारी अधिनियम का खेत ख.नं. 1592/1077 तादादी 11 बीघा 2 विश्वा वाके रोही चूरू की संयुक्त खातेदारी प्रार्थी के नाम से चली आ रही थी जिसको इस न्यायालय द्वारा दावा सं. 74/2012 के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.07.15 को उक्त कृषि भूमि को सिवाय चक घोषित किया गया जिसका इन्द्राज राजस्व अभिलेख में इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना कर दी गई। इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.15 के खिलाफ प्रार्थीगण द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील संख्या 91/15 पेश की गई जिसका निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.18 को पारित की गई जिसमें इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर प्रकरण को इस न्यायालय में सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है। यह कि राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा अपील सं. 91/15 बल्लूखां बनाम सरकार में निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.18 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.15 को निरस्त किया जाकर प्रकरण को सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेख में जो इन्द्राज निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.15 की अनुपालना में किया गया वह इन्द्राज कानूनन हटाया जाने योग्य है व राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा इस न्यायालय की निर्णय व डिक्री को अपास्त किया गया है ऐसी स्थिति में वादगत कृषि भूमि बाबत राजस्व अभिलेख में दिनांक 29.07.15 से पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेख में अंकित की जावे। यह कि राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.18 की अनुपालना में इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.15 के आधार पर दर्ज राजस्व अंकन को हटाया जाकर दिनांक 29.07.15 के पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार चूरू को आदेशित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाते हुए वादगत कृषि भूमि का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय व डिक्री की पालना में दिनांक 29.07.15 से पूर्व राजस्व अभिलेख का इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार, चूरू उपस्थित हुए। तहसीलदार चूरू की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में अंकित तथ्य माननीय न्यायालयों के निर्णयों से सम्बन्धित व सही होने से स्वीकार किये जाते हैं। यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 2 व 3 में अंकित तथ्य माननीय न्यायालय के निर्णय की हद तक स्वीकार है परन्तु प्रार्थी द्वारा वादगत कृषि भूमि की राजस्व अभिलेख में दिनांक 29.07.15 से पूर्व की स्थिति अंकित करवाने का तथ्य अस्वीकार किया जाता है। वास्तविक स्थिति यह है कि माननीय न्यायालय आर.ए.ए. बीकानेर ने अपने निर्णय में श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, चूरू के निर्णय व डिक्री को अपास्त किया है तथा अप्रार्थी को नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीम गठित कर वादगत कृषि भूमि की जांच रिपोर्ट लेने तथा भूमि पर प्लॉटिंग कार्य व भवन निर्माण पाया जाने पर अपीलार्थी को संपरिवर्तन कराने हेतु समय दिया जाने का आदेश देते हुए पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने निर्देश श्रीमान् जी के न्यायालय को दिये हैं। माननीय न्यायालय ने राजस्व अभिलेख में निर्णय दिनांक 29.07.15 से पूर्व की स्थिति की बहाली के निर्देश नहीं दिये हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. का अस्वीकार किया जाकर इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे, फिर भी यदि प्रार्थी वादगत कृषि भूमि में दिनांक 29.07.15 से पूर्व की स्थिति बहाल होने पर उक्त कृषि भूमि का संपरिवर्तन कराने का वचन जरिये शपथ पत्र देता है तो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा सकता है।

प्रार्थना पत्र में जवाब पेश होने पर प्रार्थी ने जरिये वकील शपथ पत्र पेश कर अंकित किया कि राजस्व अपील अधिकारी महोदय बीकानेर के निर्णय के द्वारा मेरे नाम खातेदारी दर्ज हो जाती है तो मैं प्रार्थी उक्त भूमि का नियमानुसार कनवर्जन की फाईल तैयार कर सक्षम अधिकारी को पेश कर उक्त भूमि का संपरिवर्तन करा लूंगा। प्रार्थी का शपथ पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने का निवेदन किया जिस पर वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राज की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पर अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जब माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी ने अपने अपील निर्णय दिनांक 31.10.2018 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.15 जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है, को अपास्त कर दिया है तो नियमानुसार कानूनन रूप से अपास्त किये गये आदेश या निर्णय से जो अंकन राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

= किया गया है वह स्वतः ही निरस्त योग्य है। प्रार्थी वादगत कृषि भूमि को संपरिवर्तन कराने का शपथ पत्र भी पेश कर चुका है। इसलिए कानूनी प्रावधानों के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.15 के द्वारा दर्ज अंकन को निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दिनांक 29.07.15 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश तहसीलदार, चूरू को दिये जावें। पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय न्यायालय आर.ए.ए. बीकानेर ने अपने अपील निर्णय में इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांकित 29.07.15 को अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया है जिसमें पर्याप्त साक्ष्य–सबूत, सुनवाई एवं बहस के बाद गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना है। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में कहीं भी दिनांक 29.07.15 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के निर्देश नहीं दिये हैं परन्तु प्रार्थी वादगत कृषि भूमि का संपरिवर्तन कराने का शपथ पत्र पेश कर चुका है। इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं जवाब पैरोकार राज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण व पैरोकार राज की बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.15 की पालना में दर्ज किये गये अंकन को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2018 की अनुपालना में पुनः दिनांक 29.07.15 से पूर्व की स्थिति बहाल करने का निवेदन किया है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर ने अपनी अपील संख्या 91/2015 अनुवानी भंवरलाल बनाम राजस्थान सरकार के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2018 में इस न्यायालय के दावा सं. 74/2012 के निर्णय व डिक्री दिनांकित 29.07.2015 को अपास्त कर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया गया है कि नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीम गठित कर पुनः जांच रिपोर्ट पेश करें। अगर प्रतिवादीगणों द्वारा वादगत कृषि भूमि पर प्लॉटिंग कार्य करवा कर भवन निर्माण करवाया गया है तो अपीलार्थी नियमानुसार संपरिवर्तन हेतु सक्षम न्यायालय में जारजोई कर सकते हैं। इससे राज्य सरकार के निमयों की पालना भी होगी और अपीलार्थी के हितों पर भी कुठाराघात भी नहीं होगा। अपीलार्थी/प्रतिवादीगणों को संपरिवर्तन हेतु समय देकर नियमानुसार पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया है। पैरोकार राज ने अपने जवाब में निवेदन किया है कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.10.2018 को इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री अपास्त कर पुनः सुनवाई के लिए कहा है, न कि बहाली के लिए। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित है परन्तु यदि प्रार्थी संपरिवर्तन कराने का वचन देता है तो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा सकता है। प्रार्थी उक्त शपथ पत्र पेश कर चुका है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचना एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के मध्यनजर यह स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.10.2018 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.15 को अपास्त कर देने से उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.15 की पालना में वादगत राजस्व रिकार्ड में किया गया अंकन स्वतः ही निरस्त योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थी वादगत कृषि भूमि का संपरिवर्तन कराने का शपथ पत्र प्रस्तुत कर चुका है इसलिए प्रार्थी उक्त वादगत

उपखण्ड अधिकारी

राजस्व अभिलेख में दिनांक 29.07.15 से पूर्व की स्थिति बहाल करवाने के हकदार हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. का उचित होने से स्वीकार करने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 1592/1077 तादादी 11 बीघा 2 विश्वा वाके रोही कस्बा चूरू के राजस्व अभिलेख में दिनांक 29.07.2015 से पूर्व की स्थिति बहाल करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश आज दिनांक 23.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू